

'Most Immediate'

No.F.5(35)-E.III(A)/66  
Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Expenditure  
----

New Delhi-2, the 22nd August, 1970

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Ban on revision of salary structure at any level.

The undersigned is directed to refer to this Ministry's Office Memorandum No.F.5(35)-E.III(A)/66, dated the 29th August, 1966 and the subsequent Office Memorandum of even number dated the 28th June, 1969 on the subject mentioned above and to say that on a review of the matter it has been decided with the approval of the Cabinet to continue the existing ban on revision of salary structure for a further period of one year upto the 30th June, 1971.

*Kirpa Singh*

( KIRPA SINGH )  
DEPUTY SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA.

To

All Ministries/Departments of the Government of  
India, B.P.E., etc. etc.

\*\*\*\*\*

\*R.Lal\*  
18/8/70.

अति तात्कालिक

सं० फा० 5(35)-ई० 111(ए)|66

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

---

नई दिल्ली-2, 22<sup>n</sup> अगस्त 1970

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- वेतन-ढाँचों के किसी भी स्तर पर संशोधन पर रोक

मुझे, उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 29 अगस्त 1966 के कार्यालय ज्ञापन सं० फा० 5(35)-ई० 111(ए)|66 तथा उसके बाद दिनांक 28 जून 1969 के इसी संख्या के कार्यालय ज्ञापन के सन्दर्भ में यह कर्तव्य का निर्देश हुआ है कि इस विषय की समीक्षा करने पर मन्त्रिमंडल की सहमति से यह निर्णय किया गया है कि वेतन ढाँचों पर वर्तमान रोक को एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिये 30 जून 1971 तक और जारी रखा जाय ।

कृपा सिंह

( कृपा सिंह )

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग,  
सरकारी उद्यम ब्यूरो आदि, आदि ।

---